रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1973/अग्रहायण 5, 1895
No. 279] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1973/AGRAHAYANA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 26th November 1973.

G.S.R. 505(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs, Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance) No. G.S.R. 462(E), dated the 1st October, 1973, the Central Government hereby determines that for the purpose of Sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exhange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *Vice Versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs.100/-
(1)	(2)	(3)
1.	Austrain Schillings.	237
2.	Belgian Francs	4813
3.	Canadian Dollars.	2·46
4.	Danish Kroners.	74·50
5.	Dutch Guilders.	33·70
6.	Deutsche Marks.	32·40

(1)	(2)	(3)
7.	French Francs.	55·30
8.	Italian Lire.	7410
9.	Japanese Yen.	3500
10.	Norwegian Kroners.	68·70
11.	Pound Sterling.	5·2950
12.	Swedish Kroners.	54·50
13.	Swiss Francs	39·70
14.	U.S.A. Dollar.	12·60

[No. 138/F. No. 503/10/73-Aus-VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमाशुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 505 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 462 (ई) तारीख 1 अक्तूबर, 1973 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिये विनिमय की दरें ये होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित है।

अनुसूची

क्र० सं०	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	237
2.	बेल्जियम के फ्रैंक	483
3.	कैनाडा के डालर	12.46
4.	डेनमार्क के क्रोनर	74.50
5.	डच गिल्डर	33.70
6.	जर्मन (ड्यूशे) मार्क	32.40

(1)	(2)	(3)
7.	फ्रांस के फ्रेंक	55.30
8.	इतालवी लीरा	7410
9.	जापानी येन	3500
10.	नार्वे के क्रोनर	68.70
11.	पौंड स्टर्लिंग	5.2950
12.	स्वीडन क्रोनर	54.50
13.	स्विटजर लैंड के फ्रैंक	39.70
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	12.60

[सं० 138/फा० सं० 503/10/73—सीमाशुल्क]

पी० के० कपूर अवर सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973